

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

पटना, दिनांक

विषय- विभागान्तर्गत 5 (पांच) नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019-20 से सत्रारंभ करने के लिए A.I.C.T.E. के मापदण्ड के आलोक में आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू. 37,50,000=00 (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत 5 (पांच) नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक औरंगाबाद/खगड़िया/अरवल/जहानाबाद एवं भोजपुर में वर्ष 2019-20 से सत्रारंभ करने के लिए A.I.C.T.E. के मापदण्ड के आलोक में आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू. 37,50,000=00 (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद	7,50,000=00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया	7,50,000=00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, अरवल	7,50,000=00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, जहानाबाद	7,50,000=00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, भोजपुर	7,50,000=00
	कुल	37,50,000=00

- उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक सहित पुनर्विनियोग से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001050106 है।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित मेंटर संस्थानों के प्राचार्य होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार मढ़ौरा/कटिहार/बिहारशरीफ/पटना समाहरणालय/गुलजारबाग, पटना से की जायेगी।
- उक्त स्वीकृत राशि से पुस्तकों का क्रय संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
- वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मढ़ौरा/कटिहार/बिहारशरीफ (नालन्दा)/पटना समाहरणालय/ गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा/कटिहार/अस्थावाँ/पटना-7 एवं नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

770

/पटना, दिनांक-

28/2/19

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

28/2/19